भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

क्षेत्रीय मुख्यालय - पूर्वी क्षेत्र

पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत झारसुगुडा हवाईअड्डे हेतु भू-प्रबंधन में सलाहकार की नियुक्ति

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, क्षेत्रीय मुख्यालय (पूर्वी क्षेत्र) भू-प्रबंधन सलाहकार के रूप में पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत झारसुगुड़ा हवाईअड्डे पर सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर अथवा सेवानिवृत्त तहसीलदार स्तर के अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए इच्छुक है, जो कि विशुद्ध रूप से अनुबंध पर आधारित है। संबंधित हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) से संबंधित भूमि के उत्परिवर्तन को पूरा करने के लिए सलाहकार को 3 महीने की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा।

1. **योग्यता मानदंड :** उम्मीदवार सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर अथवा सेवानिवृत्त तहसीलदार स्तर का अधिकारी होना चाहिए।
2. **पारिश्रमिक :** सेवानिवृत्त डिप्टी कलक्टर हेतु रु. 1.00 लाख प्रति माह तथा सेवानिवृत्त तहसीलदार हेतु रु. 80,000/- प्रति माह। मौजूदा नियमों के अनुसार कटौती किए जाने वाले आयकर या किसी अन्य कर को स्रोत पर भुगतान की जाने वाली राशि में से भुगतान करने से पूर्व ही काट लिया जाएगा, जिसके लिए विभाग द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
3. **स्टेशन जहां सलाहकार की आवश्यकता है** : झारसुगुडा।
4. **कार्य जो किए जाने हैं :** भाविप्रा के नाम पर, संबंधित स्टेशनों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संबंधित भूमि के उत्परिवर्तन के कार्य को पूरा करना।
5. **नियुक्ति की समायावधि :** प्रारंभ में सलाहकार की नियुक्ति 03 महीने के लिए होगी। यदि भाविप्रा द्वारा समीक्षा किए जाने पर कार्य संतोषजनक पाया जाता है और कार्य समाप्त करने हेतु अधिक समय की आवश्यकता महसूस होती है तो भाविप्रा द्वारा अनुबंध को और 03 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। कार्य को नियुक्ति की तिथि से 06 (छः) महीने की अवधि में समाप्त किया जाना है।
6. **उपस्थिति एवं छुट्टी :**
   6.1 सलाहकारों को अपने नियुक्ति के स्थान पर भाविप्रा के कार्मिकों की उपस्थिति प्रणाली के अनुसार बायोमेट्रिक/मैनुअल उपस्थिति मार्क करनी होगी।
   6.2 सलाहकार 3 महीने में आनुपातिक आधार पर 3 दिन की छुट्टी ले सकते हैं।
   6.3 अतः सलाहकार को 03 महीने में 03 दिन से अधिक छुट्टी (आनुपातिक आधार पर की गई गणना के अनुसार) लेने पर पारिश्रमिक नहीं मिलेगा।
   6.4 अप्रयुक्त छुट्टी को अगली अवधि में नहीं जोड़ा जाएगा अथवा कार्यकाल के अंत में नकदीकरण नहीं किया जाएगा।
   6.5 अवकाश या अनुमोदित छुट्टी के अलावा ड्यूटी पर अनुपस्थित रहने के मामले में, सलाहकार शुल्क से आनुपातिक भुगतान की कटौती की जाएगी।
   6.6 भाविप्रा 3 दिनों से अधिक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के अलावा गैर-कार्यनिष्पादन/असंतोषजनक सेवाओं के मामले में सेवाओं को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
7. **चयन मापदंड :**
   7.1 सलाहकार के रूप में सेवानिवृत्त उप समाहर्ता अथवा सेवानिवृत्त तहसीलदार स्तरीय अधिकारी की नियुक्ति ए.ए.आई. वेबसाइट पर विज्ञापन के पश्चात क्षेत्रीय मुख्यालय, कोलकाता द्वारा चयनित साक्षात्कार पद्धति (वी.सी. द्वारा साक्षात्कार) के माध्यम से की जाएगी।

7.2 सलाहकार की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी एवं उन्हें सलाहकार अवधि के दौरान अन्य कोई कार्य करने की अनुमति नही होगी।

7.3 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास इस विज्ञापन को निरस्त करने तथा इस विषय में किसी भी चरण पर कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं करने या किसी प्रकार का स्पष्टीकरण, जो भी हो, दिए बिना किसी अथवा सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

इच्छुक आवेदक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्ररूप (अनुलग्नक – I) में ईमेल क माध्यम से recttceller@aai.aero पर दिनांक 15 अगस्त, 2022 को अथवा उससे पहले भेज दें।

<u>अनुलग्नक – I</u>

आवेदन कैसे करें? व्यक्ति, जो दिए गए कार्य-क्षेत्र तथा शर्तों व नियमों और अन्य विवरणों के अनुसार योग्यता शर्तों को पूरा करते हैं, वे निम्नलिखित निर्धारित प्ररूप में आवेदन कर सकते हैं।

<u>आवेदन पत्र हेतु प्ररूप</u>

नवीनतम स्व-प्रमाणित फोटो।

i. नाम :

ii. स्टेशन हेतु आवेदन :

iii. सेवानिवृत्ति की तिथि :

iv. सेवानिवृत्ति के समय निर्दिष्ट पद :

v. पत्राचार हेतु पता : ....

....

....

vi. संपर्क संख्या : दूरभाष ....

मोबाइल ....

vii. ईमेल आईडी : ....

हस्ताक्षर : ....

नाम : ....

स्थान :

दिनांक :

अस्वीकरण :

आवेदक द्वारा दी गई जानकारी सत्य व सही है। अगर बाद में कभी कोई विसंगति पाई गई तो कार्य अनुबंध/संविदा को समाप्त किया जा सकता है।